



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05022026-269842  
CG-MH-E-05022026-269842

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 483]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 2 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 512(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है "नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या)" प्रस्तावना निर्माण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपदान अधिकारी सावनेर, तालुका कोहली, जिला नागपुर को लिखित रूप में किया और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी वयवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा

ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्: "नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और के नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या)" प्रस्तावना निर्माण", महाराष्ट्र राज्य में परियोजना।

(लेवल क्रॉसिंग संख्या 287 के स्थान पर 2-लेन आरओबी के साथ आरयूबी का प्रस्तावित निर्माण)

क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे/गैट संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल 7/12 के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
जिला : नागपूर								
१.	५/अ-६५/२०२-२६	कोहली	कळमेधूर	रायबाई वि. संतोष राव घोटे, दिलीप संतोष राव घोटे, अशोक संतोष राव घोटे, प्रभावती संतोष राव घोटे, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	६ भाग	१	०.४६००	०.०००४
२.				दिनकर उर्फ अण्णा निळकंठ वानखेडे, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	९ भाग	१	१.३६००	०.००२३
३.				निलेश महादेवराव डेहनकर, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	२५ भाग	१	०.३८००	०.०००२
४.				निलेश महादेवराव डेहनकर, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	२६ भाग	१	०.३०००	०.००१३
५.				अनिता अविनाश विजयकर, अनुजा अविनाश विजयकर, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	३५१/१ भाग	१	०.७३००	०.०००५

क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे/गैट संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल 7/12 के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
६.				अनिता अविनाश विजयकर, अनुजा अविनाश विजयकर, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	३५२/1 भाग	१	१.१२००	०.०१५९
७.				अनिता अविनाश विजयकर, अनुजा अविनाश विजयकर, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	३५३/1 भाग	१	०.०१७४	०.०१३७
८.				रमेश वामन भुरे, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	३५५/1 भाग	१	१.३८३५	०.०४७१
९.				अरुण शिवाजी सरोदे, कृष्णा शिवाजी सरोदे, मंदा शिवाजी सरोदे, चंद्राबाई धनराज बोवडे, चंद्रभागा शिवाजी सरोदे, किशोर लक्ष्मणराव सरोदे, विलास लक्ष्मणराव सरोदे, सुनीता लक्ष्मणराव सरोदे, कविता लक्ष्मणराव सरोदे, झाशी लक्ष्मणराव सरोदे, शांताबाई लक्ष्मणराव सरोदे, आदि एवं 7/12 के अनुसार।	४८८ भाग	१	०.३६००	०.००६०
कुल							६.११०९ (हे.आर.)	०.०८७४ (हे.आर.)

[फा. सं. G197/ROB &amp; RUB/LC 287/Kohli/RSP/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd February, 2026

## Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 512(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20 (A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in

schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, **“Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur - Itarsi & Nagpur - Ballarshah section of Nagpur Division”** hereby declares its intention to acquired such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub Divisional Officer and Land Acquisition officer Saoner, Taluka Kohli, District Nagpur** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:

**“Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur - Itarsi & Nagpur - Ballarshah section of Nagpur Division”,** Project in the state of Maharashtra.

#### **(PROPOSED CONSTRUCTION OF 2-LANE ROB WITH RUB IN LIEU OF LEVEL CROSSING NO. 287)**

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Taluka	Land Owners Name according to Survey / Gut No Extracts	Survey / Gut No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 in (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
<b>District: Nagpur</b>								
1.	5/A-65/202-26	Kohli	Kalameshwar	Raibai v. Santosh Rao Ghote, Dilip Santosh Rao Ghote, Ashok Santosh Rao Ghote, Prabhavati Santosh Rao Ghote, etc. and as per 7/12.	6 Part	1	0.4600	0.0004
2.				Dinkar urf Anna Nilkanth Wankhede, etc. and as per 7/12.	9 Part	1	1.3600	0.0023
3.				Nilesh Mahadevrao Dehankar, etc. and as per 7/12.	25 Part	1	0.3800	0.0002
4.				Nilesh Mahadevrao Dehankar, etc. and as per 7/12.	26 Part	1	0.3000	0.0013
5.				Anuja Avinash Vijaykar, Anita Avinash Vijaykar, etc. and as per 7/12.	351/1 Part	1	0.7300	0.0005

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Taluka	Land Owners Name according to Survey / Gut No Extracts	Survey / Gut No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 in (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
6.				Anita Avinash Vijaykar, Anuja Avinash Vijaykar, etc. and as per 7/12.	352/1 Part	1	1.1200	0.0159
7.				Anita Avinash Vijaykar, Anuja Avinash Vijaykar, etc. and as per 7/12.	353/1 Part	1	0.0174	0.0137
8.				Ramesh Vaman Bhure, etc. and as per 7/12.	355/1 Pt	1	1.3835	0.0471
9.				Arun Shivaji Sarode, Krishna Shivaji Sarode, Manda Shivaji Sarode, Chandrabai Dhanraj Bobde, Chandrabhaga Shivaji Sarode, Kishore Laxmanrao Sarode, Vilas Laxmanrao Sarode, Sunita Laxmanrao Sarode, Kavita Laxmanrao Sarode, Jhashi Laxmanrao Sarode, Shantabai Laxmanrao Sarode, etc. and as per 7/12.	488 Part	1	0.3600	0.0060
Total							6.1109 (Ha.)	0.0874 (Ha.)

[F. No. G197/ROB &amp; RUB/LC 287/Kohli/RSP/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)